रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGD. No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2014/अग्रहायण 5, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 150
No. 153] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2014/AGRAHAYANA 5, 1936[N.C.T.D. No. 150

IndiaCode

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग
अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

सं. फा. 03(73)/वित्त (टी एंड ई)/2005–06/डीएसVI/1113.–राज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 सितम्बर, 1950 की अधिसूचना संख्या 124–जे के द्वारा यथासंशोधित दिनांक 24 अगस्त, 1950 की राज्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या 104–जे के साथ पठित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री ज्ञानेश भारती, (भारतीय प्रशासनिक सेवा) सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को उनके सचिव (राजस्व/मंडलीय आयुक्त) का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
NOTIFIACTIONS

Delhi, the 26th November, 2014

No. F. 3 (73)/Fin.(T&E)/2005-06/DS-VI/1113.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) read with the Government of India, Ministry of States Notification No. 104-J dated 24th August, 1950 as modified by the Ministry of States Notification No. 124-J dated 20th September, 1950, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Gyanesh Bharti, IAS, Secretary (Revenue) cum-Divisional Commissioner, Delhi as the Inspector General of Registration for the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date he assumed charge of the office of the Secretary (Revenue/Divisional Commissioner till further orders.

सं. फा. 03(73)/वित्त (टी एंड ई)/2005–06/डीएस VI/1114.–राज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 सितम्बर, 1950 की अधिसूचना संख्या 124–जे के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 24 अगस्त, 1950 की राज्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या 104–जे के साथ पठित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री ज्ञानेश भारती, (भारतीय प्रशासनिक सेवा) सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त, दिल्ली को उनके सचिव (राजस्व/मंडलीय आयुक्त) का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,
रविन्द कुमार, उप– सचिव –VI (वित्त)

No. F. 3 (73)/Fin. (T&E)/2005-06/DS-VI/1114.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (10) of Section 3 of the General Clauses Act, 1897 (X of 1897) as adapted by the Adaptation of Laws Order, 1950, read with the Government of India's S.R.O. No. 2123 dated 12th November, 1953 the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Gyanesh Bharti, IAS, Secretary (Revenue) cum-Divisional Commissioner, Delhi as the Chief Controlling Revenue Authority for the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date he assumed charge of the office of the Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, till further orders.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI(Finance)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

फा. सं. 13 (61)/श.वि./एमबी/सीसी/2014/7121.–स्ट्रीट वैंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के केन्द्रीय अधिनियम 7) की धारा 2 के खंड 2 के उप–खंड (ii) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय–I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** .– (1) इस नियमावली दिल्ली स्ट्रीट वैंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) ये नियम दिल्ली राजपत्र की प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** .– (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" का अर्थ है स्ट्रीट वैंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के केन्द्रीय अधिनियम 7);

(ख) "उप विधि" का अर्थ है धारा 37 के अंतर्गत बनाई गई उपविधि;

(ग) "फार्म" का अर्थ है इस नियमावली के साथ संलग्न फार्म;

(घ) "सरकार" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार;

(ङ) "शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति" का अर्थ है शिकायत निवारण या विवादों के समाधार हेतु अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित समिति;

(च) "स्थानीय प्राधिकरण" का अर्थ है अधिनियम की धारा 2 (1) (ग) के अधीन यथापरिभाषित स्थानीय प्राधिकरण जिसमें, जैसी भी स्थिति हो, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली छावनी बोर्ड शामिल है;

(छ) "नगर निगम आयुक्त" का अर्थ है दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और इसमें, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष, उपायुक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण और मुख्य कार्यपाल अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो;

(ज) "नियम" का अर्थ है अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत बनाए गए नियम;

(झ) "अनुसूची" का अर्थ है इस नियमावली या अधिनियम के साथ, जैसी भी स्थिति हो, संलग्न अनुसूची;

(ञ) "स्कीम" का अर्थ है धारा 38 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम;

(ट) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा;

(ठ) "विशेष समाधान" का अर्थ है कम से कम 14 दिन की सूचना पर टाउन वैडिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा घोषित समाधान तथा जिसे टाऊन वैडिंग समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना अपेक्षित है जो बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो–तिहाई से कम न हो।

(2) अधिनियम तथा इस नियमावली में परिभाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में निश्चित किया गया है।

अध्याय–II

स्ट्रीट वैंडिंग के विनियम

3. रेहड़ी लगाने का प्रमाण पत्र देने के लिए आयु निर्धारण.–रेहड़ी लगाने के लिये रेहड़ी लगाने वाले की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और उसी व्यक्ति को ही धारा 4 के अंतर्गत रेहड़ी लगाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

अध्याय– III

विवाद निपटान प्रक्रिया

4. शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समितियाँ.–(1) ऐसी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के लिए, जिसका सरकार ने अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत गठन किया है शिकायत निवारण एवं विवाद निपटान समिति होगी, जिसमें एक अध्यक्ष जो दीवानी न्यायाधीश या न्यायिक दंडाधिकारी हो तथा दो अन्य व्यवसायी सदस्य के रूप में होंगे।

(2) शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी।

5. शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समितियों में सदस्य रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव.– किसी शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति में व्यावसायिक सदस्य रूप में कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि —

(i) वह 35 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष तक की आयु का हो, तथा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, तथा

(iii) योग्यता, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति जिसे सामाजिक कार्यों या रेहड़ी लगाने वालों की समस्याओं के निपटान या सार्वजनिक मामलों या नगर निगम या लोक प्रशासन में पर्याप्त जानकारी या कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

या

वह केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार में समूह 'क' पद से सेवानिवृत्त अधिकारी को अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण से समूह 'क' पद से सेवानिवृत्त अधिकारी

6. शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य भत्ते तथा निबंधन और शर्तें :–(1) शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष वही वेतन, भत्ता तथा अन्य उपलब्धियां प्राप्त करेंगा जिसके लिए सीटिंग सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मंडल) पात्र है, यदि उसे पूर्ण कालिक आधार पर नियुक्त किया गया है या यदि पार्ट टाईम आधार पर नियुक्त किया गया है तो वह दो हजार रुपये प्रतिदिन के मानदेय का वह पात्र है।

बशर्ते जहां सेवानिवृत्त व्यक्ति जो पूर्णकालिक आधार पर, सिविल न्यायाधीश या न्यायिक दण्डाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है, तो वह भत्तों के साथ–साथ अंतिम आहंत वेतन–पेंशन के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

(2) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के सदस्य पच्चीस हजार रुपये की समेकित राशि प्राप्त करेंगे, यदि वे पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त हुए हैं या प्रति दिन एक हजार पाँच सौ रुपये का मानदेय प्राप्त करेंगे यदि पार्ट टाईम आधार पर नियुक्ति हुई है। यदि अतिरिक्त सदस्य की पूर्णकालिक सदस्य आधार पर नियुक्ति होगी तो वह प्रति माह परिवहन भत्ता के रूप में सात हजार रुपये प्राप्त करने का पात्र है:

बशर्ते जहां सेवानिवृत्त सरकारी/म्यूनीसीपल अधिकारी पूर्णकालिक आधार पर सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हो, उसके पास विकल्प होगा कि अंतिम वेतन आहरण पेंशन के साथ भत्ते प्राप्त करे।

(3) सरकार शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कार्यालय से हटा सकती है यदि वह :–

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

(ख) सरकार की नजर में उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक पतन सम्मिलित हो, या

(ग) कोई अध्यक्ष या सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो, जैसी भी स्थिति हो, या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय लाभ अर्जित किया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जैसी भी स्थिति हो, या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो जिसके कारण जनहित में कार्यालय में उनकी निरंतरता संभव न हो।

बशर्ते कि खंड (घ) एवं (ङ) के उप–नियम 3 में विनिर्दिष्ट आधार पर अध्यक्ष या सदस्य को सरकार द्वारा जाँच के बाद ही हटाया जा सकता है।

(4) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की निबंधन व शर्तों, पद में उनके कार्यकाल के दौरान उनके समाधान के प्रतिकूल नहीं होगी।

7. **शिकायत के निवारण या विवाद के समाधान के लिए आवेदन हेतु फार्म एवं प्रक्रिया**:–(1) अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (2) के अंतर्गत शिकायत निवारण या समाधान के लिए प्रत्येक आवेदन फार्म 'क' में होगा।

(2) आवेदक द्वारा आवेदन को हस्ताक्षर कर व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति के अधीक्षक को या समिति की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा।

(3) आवेदन की तीन प्रतियां भरनी होंगी और सौ रुपये की फीस देनी होगी।

(4) आवेदन के साथ आदेश या सूचना की प्रति, यदि कोई है तो, संलग्न करनी होगी जिसके विरूद्ध आवेदन किया गया है और अन्य संबंधित दस्तावेज।

8. **आवेदन एवं जाँच के सत्यापन की प्रक्रिया** :–(1) शिकायत निवारण के लिए प्राप्ति पर प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जाएगी और अधीक्षक या शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखे रजिस्टर में क्रमानुसार प्रविष्टि की जाएगी।

(2) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत किए गए व्यक्ति या अधीक्षक द्वारा, मामले के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद आवेदन को शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति आवेदन की सुनवाई की तिथि नियत करेगी और पक्षकारों को सुनवाई की सूचना जारी करेगी या सूचना जारी करवाएगी।

(4) उप–नियम (2) के अंतर्गत शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति सूचना जारी करते समय प्रतिवादी से लिखित कथन प्रस्तुत करने को कहेगी और सूचना में इस आशय का उल्लेख होगा।

(5) पक्षकरों की हाजिरी के लिए नियत तिथि को शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति आवेदकों से कमियों को दूर की मांग कर सकती है यदि कोई हो तो, या पार्टियों से संबंधित कमियों, रिकार्ड या अन्य ऐसे दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है जो समयानुसार आवश्यक हों।

(6) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड के संबंध में तथा आवेदकों तथा प्रतिवादी द्वारा किए गए विवाद के संबंध में फील्ड जांच के लिए आदेश दे सकती हैं।

(7) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति पक्षकारों को सुनने एवं मामलों के रिकार्ड की जांच के बाद आवेदनों पर निर्णय लेगी और आवेदन के प्रस्तुतीकरण के नब्बे दिनों के अंदर पर्याप्त एवं यथोचित आदेश पारित करेगी।

(8) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति पार्टियों के बीच समझौता की संभावना को तलाशेगी और यदि पार्टियां समझौते पर पहुंचती है तो शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति समझौते को रिकार्ड करेगी, जिस पर पार्टियों के हस्ताक्षर होंगे या प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे और ऐसे समझौते के तहत आवेदन का निपटान होगा।

(9) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं करेगी जिसमें —

(क) आवेदन गुमनाम है या इसमें सामान्य एवं अस्पष्ट अभिकथन हैं;

(ख) मामला किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या न्यायिक या न्यायिकवत् प्राधिकार में न्यायाधीन है;

(ग) मामला अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से परे हो;

(घ) आवेदन दायर करने के लिए आवेदक को सुने जाने का अधिकार नहीं है।

अध्याय–IV

अपील

9. **शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के आदेश या निर्णय के विरूद्ध अपील.**–(1) शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के किसी आदेश या निर्णय के विरूद्ध एक दुःखी व्यक्ति फार्म "ख" पर संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपील प्राधिकरण को ऐसे आदेश या अपील निर्णय के विरूद्ध सूचना की तिथि से तीस दिनों के अंदर अपील कर सकता है;

बशर्ते कि अपील प्राधिकार मामले में विलम्ब को माफ कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है निर्धारित अवधि के अंदर आवेदन को तरजीह देने की आवेदक के पास बचने के पर्याप्त कारण हैं।

(2) अपील का रूप किसी ज्ञापन की तरह होगा और यह अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। अपील का ज्ञापन मूल ऑर्डर के साथ संलग्न होगा या ऑर्डर की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(3) अपील के लिए तीन सेट दायर करने होंगे जिसके साथ दो सौ रुपये केवल शुल्क के रूप में देने होंगे।

(4) किसी ऐसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा जिसकी प्रति प्रतिवादी को पहले से वितरित की जा चुकी है और उसे ही दायर किया जा रहा हो। अपील का ज्ञापन के साथ ऑडर की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी, यदि कोई है जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है।

(5) जहां पार्टियों के बीच समझौता हो चुका है वहां शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति द्वारा ऑडर पास हो जाने पर अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. **टाउन वैंडिंग समिति के निर्णय पर अपील** :–(1) वैंडिंग या रद्दकरण या निलंबन के वैंडिंग के प्रमाण–पत्र के संबंध में टाउन वैडिंग समिति के किसी निर्णय के विरूद्ध धारा 11 के अंतर्गत ऑर्डर की सूचना की तिथि से तीस दिनों के अंदर फार्म "ग" में संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील करनी होगी;

बशर्ते कि अपील प्राधिकरण मामले में विलम्ब को माफ कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि निर्धारित अवधि के अंदर आवेदन को तरजीह देने की आवेदक के पास बचने के पर्याप्त कारण हैं।

(2) अपील फार्म "ग" में ज्ञापन के रूप में होगी और अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और इसे व्यक्तिगत रूप से या अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। अपील के ज्ञापन के साथ ऑर्डर की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न होगी जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है।

(3) तीन सेट में अपील दायर की जाएगी और दो सौ रुपये केवल शुल्क के रूप में देने होंगे।

(4) किसी ऐसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा जिसकी प्रति टाउन वैंडिंग समिति को पहले से ही दी गई है और उसे ही दायर किया जा रहा हो। अपील के ज्ञापन के साथ ऑर्डर की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी, यदि कोई हो जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है।

4664 DG/14-2

11. **स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपीलों के निपटान की प्रक्रिया**:–(1) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की ओर से प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखे रजिस्टर में अपील की प्रविष्टि करेगा जिस पर तिथि अंकित होगी।

(2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील को प्रस्तुत किया जाएगा जोकि अपील की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करेगी और पक्षकारों को सुनवाई की सूचना जारी करवाएगी।

(3) अपीलीय प्राधिकरण, पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किये गए अनुरोध पत्रों और प्रकरण के अभिलेख के आधार पर तथा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली क्षेत्रीय जांच के आदेश के आधार पर, यदि कोई हो, यथोचित ऐसा आदेश पारित करेगी और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपील की प्राप्ति की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर अपील के आदेश की पुष्टि, आशोधन या रद्द करेगा।

अध्याय–V

टाउन वैंडिंग समिति

12. **टाउन वैंडिंग समिति का गठन**:–(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में सरकार द्वारा एक टाउन वैंडिंग समिति गठित की जाएगी।

बशर्ते कि सरकार यदि आवश्यक समझे तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के अनुरोध पर उनके अधिकार क्षेत्र के विनिर्देशन के बाद प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के लिए एक से अधिक टाउन वैंडिंग समितियां गठित कर सकती है।

(2) टाउन वैंडिंग समिति का गठन मुख्यतः निम्न प्रकार होगा :–

क्र. सं.	सरकारी विभाग/अन्य निकाय	सदस्यों की संख्या
(क)	सरकारी विभाग/निकाय	01
i	चिकित्सा अधिकारी	01
ii	लोक निर्माण विभाग	02
iii	यातायात पुलिस	02
iv	पुलिस	06
v	स्थानीय प्राधिकरण (अध्यक्ष सहित)	
(ख)	अन्य निकाय –	
vi	स्ट्रीट वैंडर	12
vii	बाजार/व्यापार संघ	01
viii	गैर सरकारी संगठन/सामुदायिक आधारित संगठन	03
ix	आवास कल्याण संघ	01
x	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं	01
	कुल	**30**

(3) टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य, चयनित सदस्यों को छोड़कर नामांकन सरकार द्वारा किया जाएगा।

13. **टाउन वैंडिंग समिति के चयनित सदस्य से चुनाव**:–(1) स्थानीय प्राधिकरण अधिसूचना जारी करके टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के लिए चुनाव संचालित करने के अपने आशय को प्रकट करेगा जो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र के स्ट्रीट वैंडरों का प्रतिनिधि करेगा।

(2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण, टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के चुनाव को संचालित करने के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा जो संबंधित प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के स्ट्रीट वैंडरों का प्रतिनिधित्व करेगा।

14. **स्ट्रीट वैंडरों में से टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के चयन का तरीका** :–(1) नियम 14 के उपनियम 2 के अंतर्गत नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी इन नियमों के साथ अनुसूची 1 के अंतर्गत उपलब्ध तरीके से स्ट्रीट वैंडरों के बीच में से टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के लिए चुनाव संचालित करेगा।

IndiaCode

(2) मोबाईल विक्रेता, स्टेशनरी विक्रेता या स्ट्रीट वैंडर को टाउन वैंडिंग समिति के लिए चयन हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि–

(i) कोई ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक पतन शामिल हो;

(ii) यदि वह टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी शारीरिक एवं मानसिक रूप से करने में अक्षम हो।

(3) चयनित सदस्यों के नाम प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सरकार को सूचित किए जाएंगे, नाम की प्राप्ति एवं अन्य नामित सदस्यों के नाम प्राप्त होने के उपरांत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में टाउन वैंडिंग समिति के गठन को अधिसूचित करेगी।

15. **टाउन वैंडिंग समिति की अवधि**:–(1) अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत गठित टाउन वैंडिंग समिति की अवधि इसके गठन की तिथि से 5 वर्ष होगी बशर्ते उसे इन नियमों के नियम 17 के अंतर्गत जल्द भंग न किया गया हो–

(2) टाउन वैंडिंग समिति के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए :–

(i) इसकी अवधि के समापन से पूर्व; या

(ii) इसके भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि के समापन से पूर्व।

16. **टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य का निष्कासन** .– यदि सरकार का मत है कि टाउन वैंडिंग समिति का कोई सदस्य अधिनियम के अंतर्गत या उसे सौंपी गई ड्यूटी के निष्पादन में निरंतर गलतियां कर रहा है और अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रहा है तो सरकार आदेश करके समिति से ऐसे सदस्य को निष्कासित कर सकती है।

बशर्ते कि, ऐसे सदस्य को निष्कासन से पूर्व सुनने का उचित अवसर दिया गया हो।

17. **टाउन वैंडिंग समिति को भंग करना** .– यदि सरकार का मत है कि अधिनियम के अंतर्गत या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या द्वारा समिति को सौंपी गई ड्यूटी के निष्पादन में निरंतर गलतियां कर रही है और अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर रहा है तो सरकार आदेश कर ऐसी टाउन वैंडिंग समिति को भंग कर सकती है और नई टाउन वैंडिंग समिति गठित कर सकेगी।

18. **टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के भत्ते** .–टाउन वैंडिंग समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने कार्यालय में लाभ का पद नहीं लिया है वे टाउन वैंडिंग समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए केवल एक हजार रुपये की दर से या समय–समय पर संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियत दर से प्राप्त करेंगे।

19. **टाउन वैंडिंग समिति की बैठकें**.–(1) सामान्यः टाउन वैंडिंग समिति तीन माह की अवधि के अंदर एक बैठक या इसके कार्य संचालन के लिए टाउन वैंडिंग समिति के अध्यक्ष के निर्णय से किसी भी अंतराल में आयोजित की जा सकती है:

बशर्ते कि धारा 22 के अंतर्गत टाउन वैंडिंग समिति के गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक 45 दिनों के अंदर अध्यक्ष द्वारा संचालित की गई हो।

(2) टाउन वैंडिंग समिति की बैठक स्थानीय प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय या ऐसे स्थल पर की जानी चाहिए जो स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंदर हो, जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया हो ।

20. **टाउन वैंडिंग समिति के कार्य संचालन की प्रक्रिया**.– (1) सदस्यों के साथ विचार–विमर्श कर अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य संचालन के लिए टाउन वैंडिंग समिति ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी ।

(2) अधिनियम तथा इन नियमों तथा उप–नियमों के तहत प्रावधानों के अनुरूप, सामान्य बहुमत द्वारा टाउन वैंडिंग समिति के बैठक में पारित सामान्य समाधान तथा विशेष समाधान के मामले में टाउन वैंडिंग समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों और बैठक में मतदान हो ।

21. **टाउन वैंडिंग समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य** .– अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक टाउन वैंडिंग समिति मुख्यतः निम्न कार्य करेगी :–

(क) अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में सर्वे करवाना ताकि क्षेत्र में स्ट्रीट वैंडर्स की पहचान की जा सके और अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में मानदण्ड, प्लान एवं क्षमता के अनुरूप उनको स्थान सुनिश्चित कराना।

(ख) निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप स्ट्रीट वैंडर से वचनबद्ध लेने के बाद योग्य स्ट्रीट वैंडरों को वैंडिंग का प्रमाण–पत्र जारी करना, बशर्ते वैंडिंग के प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए वैंडिंग प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, टाउन

वैंडिंग समिति वही प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो अधिनियम की धारा 38 (1) के अंतर्गत निर्धारित योजना में विनिर्दिष्ट है ।

(ग) उन स्ट्रीट वैंडरों के वैंडर प्रमाण–पत्र रद्द करना या निलंबित करना जो शर्तों या अन्य किसी निबंधन को भंग करने की कोशिश करता है और अधिनियम या अन्य नियमों या अधिनियम के अंतर्गत निर्मित योजना के अंतर्गत रैगुलेटिंग स्ट्रीट वैंडिंग के लिए विशेष शर्तें का उल्लंघन करता है जहां टाउन वैंडिंग समिति संतुष्ट है कि वैंडिंग के ऐसे प्रमाण पत्र स्ट्रीट वैंडरों द्वारा मिथ्या कथन या धोखे से प्राप्त किए गए हैं;

(घ) टाउन वैंडिंग समिति को अपने क्षेत्राधिकार के किसी क्षेत्र को नॉन वैंडिंग क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने के लिये स्थानीय प्राधिकरण को संस्तुति करना;

(ङ) वैंडिंग एवं हॉकिंग के लिए साइट एवं स्पेस की पहचान करना;

(च) वैंडिंग के लिए समय नियत करना ताकि सार्वजनिक स्थान में भीड़भाड़ को कम किया जा सके;

(छ) स्ट्रीट वैंडरों द्वारा अवज्ञा के विरूद्ध सुधारात्मक प्रक्रिया को लागू करना;

(ज) विवाद निवारण समिति तथा स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित विवाद के मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई;

(झ) स्ट्रीट वैंडरों के व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना तैयार कर स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिशें प्रस्तुत करना;

(ञ) बैठकें आयोजित करना और इसके कार्य को प्रभावी रूप से निष्पादन करने के लिए उचित निर्णय लेना;

(ट) अधिनियम के प्रावधानों को निपटाने के लिए सहायता या सलाह प्राप्त करने के लिए अस्थायी तौर पर स्वयं तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यक्तियों से सहायता लेना।

(ठ) स्ट्रीट वैंडरों का चार्टर प्रकाशित करना जिसमें यह उल्लेख हो कि स्ट्रीट वैंडरों को वैंडिंग प्रमाण पत्र किस समय के दौरान जारी किया जाएगा और वैंडिंग के प्रमाण पत्रों का किस समय नवीकरण किया जाएगा और अन्य गतिविधियों की समय सीमा का भी इसमें उल्लेख किया जाए;

(ड) पंजीकृत स्ट्रीट वैंडरों तथा स्ट्रीट वैंडरों के रिकार्ड अद्यतन करना जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वैंडिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं;

(ढ) अधिनियम या इन नियमों या इसके तहत बनाई गई योजना के अंतर्गत इसके क्रियाकलापों का सामाजिक लेखा परीक्षा करना;

(ण) सरकार तथा स्थानीय प्राधिकार को समय–समय पर ऐसे रिटर्न प्रस्तुत करना जैसाकि अधिनियम तथा इन नियमों में उल्लिखित हैं;

(त) स्ट्रीट वैंडरों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपाय जैसे क्रेडिट, इंश्योरेंस तथा अन्य जनकल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विचार प्रस्तुत करना;

(थ) अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वैंडरों की भूमिका के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार की सहायता करना; और

(द) अधिनियम तथा इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य कार्यक्रम आयोजित करना जो स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकार द्वारा टाउन वैंडिंग समिति को सौंपे गए हैं।

22. **विशेषज्ञ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए टाउन वैंडिंग समिति को शक्ति.**–(1) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत टाउन वैंडिंग समिति किसी भी ऐसे ख्याति प्राप्त उपयुक्त व्यक्ति की सहायता ले सकती है। जिसे स्ट्रीट वैंडरों से संबंधित मामलों पर तकनीकी या व्यवसायिक सलाह विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त की जा सकती है और जिसे इस क्षेत्र का पर्याप्त तजुर्बा हो।

(2) उप–नियम (1) के अंतर्गत जिस व्यक्ति से विशेषज्ञ के रूप में सहायता ली जाएगी उसके चयन की प्रक्रिया साफ एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए जैसाकि सरकारी विभागों में तकनीकी या व्यवसायिक विशेषज्ञों के रूप में परामर्शदाता एवं विशेषज्ञ का होता है।

(3) उप–नियम (1) के तहत विशेषज्ञ के रूप में संबद्ध व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

23. **टाउन वैंडिंग समिति के कर्मचारी.**– संबंधित स्थानीय प्राधिकरण सरकार से पूर्वानुमोदन के बाद जब टाउन वैंडिंग समिति द्वारा इस प्रकार अनुरोध किया जाएगा, तो समिति को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे जैसाकि स्थानीय प्राधिकरण इन नियमों के नियम 21 द्वारा टाउन वैंडिंग समिति पर सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

24. **टाउन वैंडिंग समिति द्वारा स्ट्रीट वैंडरों के रिकार्ड के अनुरक्षण का तरीका.**– प्रत्येक टाउन वैंडिंग समिति अधिनियम की धारा 38 (1) के अंतर्गत योजना में निर्धारित अनुरूप में रिकार्ड को अद्यतन रखेगी जोकि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इलैक्ट्रॉनिक फार्म या मैन्यूअली या दोनों रूपों में निर्णय लिया जा सकता है।

अध्याय–VI

विविध

25. **टाउन वैंडिंग समिति द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करना.**–(1) प्रत्येक टाउन वैंडिंग समिति प्रत्येक वर्ष की मुख्यतः निम्न आवधिक रिटर्नस तैयार करके सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगी :–

(I) **सर्वेक्षण** –

(क) वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किए गए स्ट्रीट वैंडरों की संख्या;

(ख) सर्वेक्षण के समापन के तिथि के साथ क्षेत्र एवं वार्ड के नाम जहां सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है;

(ग) उस क्षेत्र एवं वार्ड का नाम जहां सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि एवं समापन की संभावित तिथि;

(घ) वर्ष के अंतिम दिन के अनुसार वार्डानुसार पंजीकृत स्ट्रीट वैंडरों की संख्या;

(II) **वैंडिंग के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति एवं निपटान**–

(क) वर्ष के दौरान वैंडिंग के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों (वार्डानुसार) की संख्या;

(ख) वर्ष के दौरान निपटान किए गए आवेदनों (वार्डानुसार) की संख्या, जिनका––

(i) प्राप्त आवेदनों की संख्या;

(ii) अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या;

(iii) वर्ष के अंतिम दिन के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या।

(III) **वैंडिंग के प्रमाण पत्र के निलंबन के मामले**–

(क) ऐसे मामलों की संख्या जहां वर्ष के दौरान वैंडिंग के प्रमाण पत्र के निलंबन के लिए कार्रवाई की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान निपटान किए गए निलंबन के मामलों की संख्या जहां–

(i) वैंडिंग के प्रमाण पत्र की संख्या जहां निलंबन हुआ है;

(ii) बंद किए गए मामलों की संख्या और निरंतर वैंडिंग के प्रमाण पत्र;

(iii) वर्ष के अंतिम दिन तक लंबित पड़े मामलों की संख्या;

(IV) **वैंडिंग के प्रमाण पत्र के निलंबन के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन**–

(क) वर्ष के दौरान प्राप्त वैंडिंग के प्रमाण पत्र के निलंबन के प्रतिसंहरण के लिए आवेदनों की संख्या;

(ख) उपरोक्त (क) पर प्राप्त आवेदनों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया–

(i) आवेदनों की संख्या जहां निलंबन का प्रतिसंहरण किया गया और वैंडिंग के प्रमाण पत्र जिनका पुनः विधि मान्यकरण किया गया;

(ii) बंद मामलों की संख्या और निलंबन जारी है;

(ग) वर्ष की अंतिम तिथि पर निलंबन लंबित के प्रतिसंहरण के लिए आवेदनों की संख्या;

4664DG/14-3

IndiaCode

(V) वैंडिंग के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के मामले–

(क) वर्ष के दौरान वैंडिंग के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के लिए कार्रवाई प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या;

(ख) वर्ष के दौरान वैंडिंग के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण के मामलों के निपटान की संख्या–

(i) रद्द किए गए वैंडिंग के प्रमाण पत्रों की संख्या;

(ii) बंद मामलों तथा निरंतर प्रमाण पत्रों की संख्या;

(VI) वर्श के दौरान टाउन वैंडिंग समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या–

(VII) वार्ड, क्षेत्र/कॉलोनी, सड़क, वैंडिंग जोन का मानचित्र तथा होल्डिंग क्षमता जैसे विवरण सहित पहचान किए गए वैंडिंग जोन की वार्डानुसार सूची–

(VIII) पंजीकृत स्ट्रीट वैंडरों की वार्डानुसार संख्या जिन्हें अधिसूचित वैंडिंग जोन में जगह दी गई है–

(IX) अन्य गतिविधियां –

(क) वर्ष के दौरान इनकी संचालित गतिविधियां का सामाजिक लेखा परीक्षा;

(ख) वर्ष के दौरान स्ट्रीट वैंडरों को उपलब्ध कराए गए क्रेडिट, इंश्योरेंस तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण योजनाओं के संवर्धन के उपाय;

(ग) अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वैंडरों की भूमिका के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष के दौरान उठाए गए कदम।

(2) मामले के अनुसार सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, कि समय–समय पर यथावश्यक ऐसे प्रोफार्मा में अन्य रिटर्न या रिटर्नस टाउन वैंडिंग समिति को प्रस्तुत करे जोकि आवश्यक है।

26. **समाचार पत्रों इत्यादि में अधिसूचित योजना के सार का प्रकाशन** .– (1) अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत द्वितीय अनुसूची में सरकार द्वारा अधिसूचित योजना का सार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के नगर आयुक्त द्वारा प्रभावित होने वाले अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र या इलाके में व्यापक रूप से प्रसिद्ध इलाके के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना देकर प्रकाशित कराया और परिचालित कराया जायेगा।

(2) सूचना स्थानीय प्राधिकरण को नगर आयुक्त द्वारा या उसके ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

(3) सूचना ऐसी भाषा या भाषाओं में होगी या भाषा स्थानीय प्राधिकरण के नगर आयुक्त के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार, सचिव

अनुसूची–1

(नियम 14 देखें)

स्ट्रीट वैंडर्स की प्रतिनिधि टाउन वैंडिंग समिति के अपने अधिकार क्षेत्र में सदस्यों के चुनाव आयोजन करने की प्रक्रिया :

1. संबंधित स्थानीय निकाय स्ट्रीट वैंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली टाउन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में सदस्यों के चुनाव का पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण करेगी।

2. जब भी स्थानीय प्राधिकरण स्ट्रीट वैंडर्स की प्रतिनिधित्व करने वाली टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों का चुनाव कराने के इरादे की अधिसूचना नियम 13 के उप–नियम (1) के अंतर्गत जारी होती है तथा उसके उप–नियम (2) के अंतर्गत चुनाव आयोजन के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति होती हैं, स्थानीय प्राधिकरण समाधान पारित करके चुनाव की तिथि, समय तथा स्थान का सुनिश्चयन करेगी।

3. स्थानीय प्राधिकरण के समाधान/निर्णय की सूचना स्ट्रीट वैंडिंग व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रीय स्ट्रीट वैंडरों में निम्नलिखित साधनों से परिचालित करेगी, अर्थात् :–

(क) हिन्दी अंग्रेजी या ऐसी अन्य भाषा में जिसे स्थानीय प्राधिकरण उचित समझे, के मुख्य समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके;

(ख) स्थानीय सूचना देकर;

(ग) रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से,

(घ) ऐसी स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा, जो सक्षम प्राधिकरण के पास पंजीकृत हो तथा रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाकर जिसमें निम्नलिखित के विषय में सूचना होगी–

(i) चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जिसमें अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं, विकलांगों, अल्पसंख्यकों या किसी अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के प्रतिनिधियों के आरक्षित स्थान;

(ii) नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि, उसका स्थान तथा दाखिल करने का समय तथा यह तिथि चुनाव के लिए निश्चित तिथि से स्पष्ट सात दिन होनी चाहिए या यदि यह दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगला दिवस जो सार्वजनिक अवकाश न हो;

स्पष्टीकरण:–"सार्वजनिक अवकाश" शब्द का अर्थ है कोई दिवस जो परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का केन्द्रीय अधिनियम xxvi) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश या कोई दिवस जिसे सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है;

(iii) नामांकन पत्रों की जांच की तिथि तथा समय;

(iv) मतदान की तिथि, स्थान तथा समय।

4. स्थानीय प्राधिकरण टाउन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में स्ट्रीट वैंडिंग व्यवसाय में लगे क्षेत्रीय स्ट्रीट वैंडरों की सूची तैयार करेगी जो नामांकन आमंत्रित के लिए निश्चित तिथि से तीस दिनों पूर्व होगी तथा उसे टाउन वैंडिंग समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, नामांकन आमंत्रित करने की तिथि से दस दिन पूर्व, लगाएगी। इस सूची में वैंडिंग की पंजीकरण संख्या/प्रमाण पत्र तथा स्ट्रीट वैंडर का नाम, उसके पिता या पति, जैसी भी स्थिति हो, का नाम तथा स्ट्रीट वैंडर का पता दिया जायेगा। स्ट्रीट वैंडरों की अद्यतन रजिस्टर तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथापेक्षित अन्य रजिस्टर तैयार करना टाउन वैंडिंग समिति या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, की ड्यूटी होगी। वह यथापेक्षित रजिस्टर भी रिटर्निंग अधिकारी को देगा तथा रिकार्ड रजिस्टर आदि चुनाव के लिए नियत तिथि से 30 दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सौंपेगा। टाउन वैंडिंग समिति या स्थानीय प्राधिकरण या रिटर्निंग अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दी गई सूची की एक प्रति देगा। स्ट्रीट वैंडर को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान करने पर प्रति दी जाएगी।

5. चुनाव के प्रत्याशियों का नामांकन फार्म–1 में किया जाएगा। यह फार्म (इस अनुसूची के साथ फार्म–1 संलग्न है) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निःशुल्क किसी स्ट्रीट वैंडर को दिया जायेगा।

6. प्रत्याशी नामांकन पत्र के साथ 2000 रुपये की प्रतिभूति नकद जमा करेगा या इसके लिए बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर देगा। यदि प्रत्याशी डाले गए मतों में से 1/6 से कम मत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो स्थानीय प्राधिकरण के पास उसकी प्रतिभूति राशि जब्त हो जाएगी।

7. प्रत्येक नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदनकर्ता द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र पर उसकी क्रम संख्या लिखेगा तथा प्राप्त किए गए नामांकन पत्र, प्राप्ति की तिथि तथा समय प्रमाणित करते हुए टाउन वैंडिंग समिति/रिटर्निंग अधिकारी की मुहर लगाकर नामांकन पत्र की लिखित पावती तत्काल प्रदान करेगा। नामांकन पत्र के लिए निश्चित तिथि एवं समय या उससे पहले प्राप्त न होने वाले नामांकन पत्रों को निरस्त किया जाएगा।

8. (i) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्ति के लिए निश्चित तिथि से अगले दिन नामांकन पत्रों की जाँच करवाएगा।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों का परीक्षण करते हुए किसी नामांकन के विषय में किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय करेगा तथा उस आरोप पर या अपनी तरफ से और जैसा रिटर्निंग अधिकारी आवश्यक समझे संक्षिप्त जांच करके किसी नामांकन को रद्द कर सकता है।

उपबंध है कि किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि उसके नाम या उसके प्रस्तावक का नाम या उसके अनुमोदनकर्ता का नाम या प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक या उसके अनुमोदक का खंड 4 में उल्लिखित स्ट्रीट वैंडर की सूची में प्रविष्ट कोई विवरण सही नहीं था। यदि प्रत्याशी, प्रस्तावक या अनुमोदनकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, की पहचान सन्देह से परे सिद्ध हो जाती है।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या प्रस्तावक या अनुमोदनकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को सभी नामांकन पत्रों की जांच करने तथा इस बात के लिए आश्वस्त होने के लिए सभी समुचित सुविधाएं देगा कि प्रत्याशी के नाम को शामिल किया जाना वैध है।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय की पुष्टि करेगा यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया है, तो अस्वीकृत करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित रूप से रिकार्ड करेगा।

(v) रिटर्निंग अधिकारी किसी प्रकार कार्यवाही के स्थगन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय जब इस प्रक्रिया में दंगे या उपद्रव से या उसके नियंत्रण से बाहर कारणों से इसमें व्यवधान या रुकावट आ जाए।

9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णय की गई वैध नामांकनों की सूची उनके अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार उसी दिन जब नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो जाती है प्रदर्शित/प्रकाशित करवाएगा।

10. कोई प्रत्याशी वैध नामांकनों के प्रकाशन के दिन से अगले दिन पांच बजे से पहले परन्तु किसी भी समय अपने नामांकन पत्र जमा करने के पश्चात् व्यक्तिगत रूप से स्वहस्ताक्षरित नोटिस टाउन वैंडिंग समिति के रिटर्निंग अधिकारी को देकर अपनी उम्मीदवारी को वापिस ले सकता है। उम्मीदवारी को वापिस लेने की सूचना देने पर इसे अपरिवर्तनीय माना जाएगा।

11. यदि जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध घोषित किए गए हैं, उनकी संख्या चयनित किए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या से अधिक नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी उन सभी प्रत्याशियों का नाम घोषित करते हुए उक्त खंड 10 के अधीन नामांकन वापस लेने के दिन पर समय समाप्त होने के पश्चात् टाउन वैंडिंग समिति के लिए उन सभी प्रत्याशियों का नाम घोषित करते हुए उन्हें विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि वैध नामांकन वाले प्रत्याशियों की संख्या चुने जाने वाली संख्या से अधिक है, तो रिटर्निंग अधिकारी इस निर्वाचन के लिए निश्चित तिथि को मतदान करवाने की व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी मतदान कराने के लिए एक या अधिक, जैसा आवश्यक हो, मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा। प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म–2 में यथानिर्धारित रूप में होंगे।

12. स्थानीय प्राधिकरण रिटर्निंग अधिकारी को मतपेटियां, मतपत्र, स्ट्रीट वैंडरों/मतदाताओं की सूची की प्रति तथा चुनाव संचालन के लिए यथावश्यक अन्य समान प्रदान करेगा। मतपेटी इस प्रकार से निर्मित की जाएगी कि उनमें मतपत्र डाला जा सके परन्तु पेटी का ताला खोले बिना बाहर न निकाला जा सके। चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी रिटर्निंग अधिकारी को एक पत्र देकर उसके प्रतिनिधि के रूप में जहां मतदान हो रहा है, मतदाताओं की पहचान करने के लिए तथा मतों की रिकॉर्डिंग की निगरानी करने के लिए अपना एजेंट नियुक्त कर सकता है। इस पत्र में संबंधित एजेंट की लिखित सहमति इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म–3 में होनी चाहिए।

13. किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव के स्थान पर मतदान के लिए प्रचार का निषेध होगा।

14. मतदान शुरू होने से तत्काल पहले रिटर्निंग अधिकारी उस समय उपस्थित व्यक्तियों को खाली मतदान पेटी दिखाकर फिर उस पर ताला लगाएगा तथा अपनी मुहर लगाएगा। यदि प्रत्याशी या उसका एजेंट चाहता है, तो वह भी अपनी मुहर भी लगा सकता है।

15. प्रत्येक स्ट्रीट वैंडर/मतदाता, जो मतदान करना चाहता है उसे मतपत्र दिया जाएगा जिस पर अंग्रेजी वर्णानुक्रम से प्रत्याशियों के नाम सुविधानुसार मतपत्र पर छपे हुए/टाइप किए हुए या साइक्लोस्टाइल होंगे। मतपत्र पर टाउन वैंडिंग समिति की मुहर होगी और रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर होंगे और इसमें मतदाता के लिए एक कॉलम होगा जिसमें मतदाता जिसे मत देना चाहता है उस व्यक्ति के नाम के सामने चिह्न (x) अंकित करेगा।

16. प्रत्येक मतदान केन्द्र में तथा जहां एक केन्द्र पर एक से अधिक मतदान बूथ है ऐसे प्रत्येक बूथ में अलग ऐसा कम्पार्टमेंट होगा जिसमें स्ट्रीट वैंडर/मतदाता गुप्त रूप से अपना मत दर्ज कर सकता है।

17. किसी स्ट्रीट वैंडर/मतदाता को तब तक मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक मतदान अधिकारी संतुष्ट नहीं है कि संबंधित स्ट्रीट वैंडर/मतदाता वही व्यक्ति है, जो उसे दी गई सूची में दर्ज है। मतपत्र प्राप्त होने पर स्ट्रीट वैंडर/मतदाता मतदान के लिए अलग से बनाए गए कम्पार्टमेंट में जाएगा और प्रत्याशी या प्रत्याशियों, जैसी भी स्थिति हो, के नाम के आगे (x) का चिह्न लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में अपना मत अंकित करेगा और रखी गयी मत पेटी में अपना मतपत्र अत्यन्त गोपनीयता से डालेगा। यदि दृष्टिहीनता या शारीरिक अक्षमता या निरक्षरता के कारण स्ट्रीट वैंडर/मतदाता मतपत्र पर निशान अंकित करने में असमर्थ है, तो मतदान अधिकारी और जहां मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं है, वहां रिटर्निंग अधिकारी उससे उस प्रत्याशी या प्रत्याशियों के बारे में सुनिश्चित करेगा जिसके पक्ष में वह वोट डालना चाहता है और उसकी तरफ से (x) का निशान अंकित करेगा और मतपेटी में मतपत्र डालेगा।

18. यदि मतदान के किसी चरण में, चुनाव प्रक्रिया में दंगे या उपद्रव के कारण कोई रूकावट या बाधा पहुंचती है और यदि किसी पर्याप्त कारण से वहां चुनाव करवाना संभव नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को मतदान रोकने का अधिकार होगा और उन कारणों को टाउन वैंडिंग समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करेगा।

19. किसी भी स्ट्रीट वैंडर/मतदाता को मतदान के लिए नियत समय के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जाएगा, केवल उस मतदाता को ही मतदान का अधिकार होगा जो मतदान समय समाप्त होने से पहले परिसर में प्रवेश कर चुका है। जहां मतपत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उसे मतपत्र दिया जाएगा तथा मतदान की अनुमति दी जाएगी।

20. मतदान समाप्त होने पर तत्काल मतगणना की जाएगी। यदि ऐसा संभव नहीं है तो मतपेटेयों को रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से सील किया जाएगा और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उनके एजेंट यदि चाहें तो स्थानीय प्राधिकरण के पास सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी अगले दिन मतगणना किए जाने की घोषणा करेगा। मतगणना रिटर्निंग अधिकारी के पर्यवेक्षण में या उसके द्वारा की जाएगी। प्रत्येक प्रत्याशी या उसका अधिकृत एजेंट को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा। परन्तु मतगणना के समय किसी प्रत्याशी या उसके एजेंट की अनुपस्थिति से गतगणना तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा प्रभावित नहीं होगी। प्रत्येक प्रत्याशी को डाले गए मतों की संख्या तथा चुनाव परिणाम की घोषणा, मतगणना समाप्ति के तुरन्त बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी।

21. चुनाव परिणाम टाउन वैंडिंग समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करके उसका सत्यापन रिटर्निंग अधिकारी करेगा और तत्काल टाउन वैंडिंग समिति के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित भी करेगा।

22. मतों की बराबरी रहने पर रिटर्निंग अधिकारी सिक्का उछालकर चुनाव परिणाम की घोषणा करेगा।

23. रिटर्निंग अधिकारी किसी मतपत्र को रद्द कर सकता है, यदि —

(i) उस पर ऐसा निशान लगा है स्ट्रीट वैंडर के मत को पहचाना जा सके।

(ii) इस पर टाउन वैंडिंग समिति की मुहर या रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर न हो।

(iii) मत का निशान इस रूप में लगाया गया है कि सन्देह पैदा हो जाए कि किस प्रत्याशी को मत डाला गया है।

(iv) मतपत्र इतना खराब या विकृत हो गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान नहीं की जा सकती।

24. चुनाव परिणाम की घोषणा के पश्चात् चुनाव परिणाम तथा उस पर एक रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकार को दी जाएगी।

25. चुनाव परिणाम की घोषणा के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों तथा टाऊन वैंडिंग समिति के सदस्यों के चुनाव संबंधी दस्तावेज स्थानीय प्राधिकरण को सील बंद लिफाफे में देगा। ये स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुनाव की तिथि से छह माह की अवधि के लिए या चुनाव संबंधी दायर किए गए किसी विवाद (यदि कोई है) के निपटान तक, जो भी बाद में हो, सुरक्षित रूप से संरक्षित रखा जाएगा। इसके पश्चात् स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इसे नष्ट कर दिया जायेगा तथा चुनाव अभिलेख की सुपुर्दगी और प्राप्ति की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

4664 DG/14-4

अनुसूची 1

(नियम 14 देखें)

फार्म–1

टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

टाउन वैंडिंग समिति

महोदय,

मैं पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री ———— टाउन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में दुकान लगाता हूँ (वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0.....) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ———— जो श्री ———— की पत्नी/पुत्र/पुत्री है का नाम प्रस्तावित करता हूँ तथा वह उक्त टाउन वैंडिंग समिति का स्ट्रीट वैंडर है (वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0)/ यह प्रस्ताव उक्त समिति के सदस्य के दिनांक ———— को होने वाले चुनाव के प्रत्याशी के लिए है।

प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0————

मैं———— पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री ———— की टाउन वैंडिंग समिति को ———— जिसका पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0———— है इसके द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

समर्थक का नाम और हस्ताक्षर

पंजीकरण/प्रमाण पत्र संख्या————

प्रत्याशी की घोषणा

मैं ———— पत्नी/पुत्र/पुत्री/ श्री ———— जिसका टाउन वैंडिंग समिति का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0———— है इसके द्वारा ———— स्थान की टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिये अपने नामांकन पर सहमत हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :–

(i) मैं उक्त टाउन वैंडिंग समिति का कर्मचारी नहीं हूँ।

(ii) मैं मतदान के लिए पात्र हूँ :

(iii) उक्त टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव हेतु पटरी दुकानदार (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 07) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए दिल्ली पटरी दुकानदार (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अयोग्यता के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रत्याशी का नाम तथा हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0 ————

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

नामांकन पत्र दिनांक ———— को ———— बजे प्राप्त किया।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर————

मोहर

IndiaCode

पावती

श्री ———————————— का नामांकन पत्र दिनांक———————— को ———————— बजे प्राप्त किया जिसे श्री/श्रीमती/कुमारी ———————————— ने प्रस्तुत किया जो चुनाव के लिए प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

अनुसूची–1

(नियम 14 देखे)

फार्म–2

(अनुसूची 1 का खंड 11)

टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चुनाव हेतु मतपत्र

टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु मतपत्र जिसका चुनाव दिल्ली (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 के नियम 17 के साथ संलग्न अनुसूची के अंतर्गत चुनाव संचालित किया जाना है।

———————————— टाउन वैंडिंग समिति

————————————

———————————— पता

(अधपन्ना)

———————— पद हेतु मतपत्र

चुनाव की तिथि ————————

क्रम सं0———— वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र

मतपत्र संख्या ————————

कृपया किसी प्रत्याशी के सामने (x) निशान लगाएं।

क्र. सं.	प्रत्याशी का नाम	वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं...	मतदान करने का चिह्न

अनुसूची–1

(नियम 14 देखे)

फार्म–3

(अनुसूची 1 का खंड 12)

मैं ———————————— पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ————————————स्ट्रीट वैंडर, जिसका वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं0 ———————— है, टाउन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में पटरी दुकानदार हूँ तथा उक्त समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्याशी हूँ, एतद्द्वारा उक्त टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के दिनांक ———————— का होने वाले चुनाव में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने चुनाव एजेंट/काउंटिंग एजेंट के रूप में नामांकित करता हूँ :–

प्रत्याशी का नाम और हस्ताक्षर

IndiaCode

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०————

मैं ———————— पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री ————————

पता————————————————————————————चुनाव एजेंट/एकाउंट एजेंट बनना चाहता हूँ।

एजेंट का नाम तथा हस्ताक्षर

फार्म "क"

(नियम 7 देखें)

स्ट्रीट वैंडर्स के शिकायत निवारण या विवाद के समाधान के लिये शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति को आवेदन

1.	आवेदक का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडीसंख्या	:	
3.	वैंडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐
5.	वैंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (वैंडिंग के प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, यदि जारी किया गया है)	:	
6.	शिकायत निवारण या विवाद समाधान का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)		

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं आवेदक श्री ———————— सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थानः

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः– कृपया आवेदन के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ख"

(नियम 9 देखें)

शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के निर्णय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	अपीलकर्ता का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडी संख्या	:	
3.	वैंडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) ☐ (ख)

IndiaCode

	(ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)		(ख) (ग)
5.	समिति का निर्णय (विवाद निवारण समिति के निर्णय के प्रति लगाकर बताएं) (क) निर्णय संख्या; तथा (ख) निर्णय की तिथि	:	
6.	अपील का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)		

घोषणा

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

मैं अपीलकर्ता श्री ———————— सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:– कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ग"

(नियम 10 देखें)

टाउन वैंडिंग समिति के निर्णय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	अपीलकर्ता का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडी संख्या	:	
3.	वैंडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) (ख) (ग)
5.	वैंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (बिक्री के प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, यदि जारी है)	:	
6.	आदेश का स्वरूप, जिसके प्रति अपील है (उपयुक्त पर निशान लगाएं)		(क)

4664 DG/14-5

IndiaCode

	(क) बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाना; (ख) बिक्री प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना; (ग) बिक्री प्रमाण वत्र निलम्बित किया जाना।		(ख) (ग)
7.	अपील का आधार (पूरा वितरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)		

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं अपीलकर्ता श्री ———————— सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:— कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th November, 2014

No. F13(61)/ UD/MB/CC/2014/7121.—In exercise of the powers conferred by section 36 read with sub-clause (ii) of clause (a) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014), the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014);

(b) "Bye-laws" mean the bye-laws made under section 37;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Government" means the Government of National Capital Territory of Delhi;

(f) "Grievance redressal and dispute resolution committee" means a committee constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi under sub-section (1) of section 20 of the Act for the redressal of grievances or resolution of disputes;

(g) "Local Authority" means the local authority as defined under section 2(1)(c) of the Act and includes the East Delhi Municipal Corporation, the North Delhi Municipal Corporation, the

South Delhi Municipal Corporation, the New Delhi Municipal Council, the Delhi Development Authority and the Delhi Cantonment Board;

(h) "Municipal Commissioner" means the Commissioner of a Municipal Corporation in Delhi and includes the Chairperson, New Delhi Municipal Council, the Vice Chairman, Delhi Development Authority and the Chief Executive Officer of the Delhi Cantonment Board as the case may be;

(i) "Rule" means a rule made under section 36 of the Act;

(j) "Schedule" means a schedule appended to these Rules or the Act as the case may be;

(k) "Scheme" means a scheme framed by the appropriate Government under section 38;

(l) "Section" means a section of the Act;

(m) "Special resolution" means a resolution declared as such by the Chairperson of a Town vending committee on a notice of at least 14 days and which shall be required to be passed by a majority of the total members of the Town vending committee and not less than two-thirds of the members present and voting in a meeting;

(2) Words and expressions defined in the Act and used in these Rules shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER - II

REGULATION OF STREET VENDING

3. **Prescription of the age for issue of certificate of vending.**— A street vendor who has completed the age of eighteen years shall alone be issued a certificate of vending under section 4.

CHAPTER – III

DISPUTE REDRESSAL MECHANISM

4. **Constitution of Grievance redressal and dispute resolution committees.**— (1) There shall be a Grievance redressal and dispute resolution committee for each local authority, constituted by the Government under sub-section (1) of section 20 of the Act, comprising of a Chairperson, who has been a Civil Judge or a Judicial Magistrate and two other professionals as members.

(2) The Chairperson and members of a Grievance redressal and dispute resolution committee shall be appointed by the Government.

5. **Qualifications and experience for appointment as member in a Grievance redressal and dispute resolution committee.**— A person shall be qualified to be appointed as a professional member in a Grievance redressal and dispute resolution committee, if he —

(i) is above 35 years but is not more than 65 years of age; and

(ii) possesses a Bachelor's Degree from a recognized University; and

(iii) is a person of ability, integrity and standing and has adequate knowledge or experience of, at least, ten years in social work or in dealing with the problems relating to street vendors or of public affairs or of municipal or public administration;

OR

is a retired officer of the Central or State Government or the Government of a Union Territory from a Group 'A' post or a retired Officer from a group 'A' post from a Local Authority.

6. **Salaries and other allowances and terms and conditions of the Chairperson and member of the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee.**— (1) The Chairperson of the Grievance Redressal Committee shall receive the salary, allowances and other perquisites as are admissible to a sitting

Civil Judge (Senior Division), if appointed on whole-time basis, or an honorarium of rupees two thousand per day, if appointed on a part time basis:

Provided that where a retired person who has been a Civil Judge or Judicial Magistrate is appointed as Chairperson on a whole-time basis he shall receive remuneration as per the last pay drawn minus pension along with allowances.

(2) A Member of the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee shall receive a consolidated amount of rupees twenty five thousand if appointed on a whole-time basis, or an honorarium of rupees one thousand five hundred per day, if appointed on part time basis. In addition a member appointed on a whole time basis will also be entitled to receive transport allowance of rupees seven thousand per month:

Provided that where a retired government/ municipal officer is appointed as a member on a whole-time basis, he will have the option to receive the last pay drawn minus pension alongwith allowances.

(3) The Government may remove from the office, the Chairperson and Members of a Grievance redressal and dispute resolution committee if he:-

(a) has been adjudged an insolvent, or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude, or

(c) has become physically or mentally incapable of action as such Chairperson or Member, as the case may be or

(d) has acquired such financial other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the chairperson or a Member, as the case may be or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the Chairperson or Member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of sub-rule 3 except on an inquiry held by the Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf.

(4) The terms and conditions of the service of the Chairperson and Members of the Grievance redressal and dispute resolution committee shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

7. Form and manner of making application for redressal of grievance or resolution of dispute.— (1) Every application for redressal of a grievance or resolution of a dispute under sub-section (2) of section 20 of the Act shall be in Form 'A'.

(2) The application shall be signed by the applicant and presented by him in person or through his authorised representative to the Superintendent of the Grievance redressal and dispute resolution committee or such other person as may be authorised by the committee in this behalf.

(3) The application shall be filed in three sets and shall be accompanied by a fee of rupees one hundred only.

(4) The application shall be accompanied by a copy of the order or notice, if any, against which the application is made and other relevant documents.

8. Manner of verification of application and enquiry.—(1) Every application for grievance redressal, on receipt, shall be entered and numbered in seriatum by the Superintendent or the person authorised in this behalf by the Grievance redressal and dispute resolution committee in a register to be kept for this purpose.

(2) The Superintendent or the person authorised in this behalf by the Grievance redressal and dispute resolution committee, as the case may be, after making an entry in the Register shall put up the application before the Grievance redressal and dispute resolution committee.

IndiaCode

(3) The Grievance redressal and dispute resolution committee shall fix a date for hearing of the application and shall issue notice of the hearing to the parties or shall cause a notice to be issued.

(4) The Grievance redressal and dispute resolution committee while issuing a notice under sub rule (2) shall call upon the respondent to submit a written statement and the notice shall contain a statement to this effect.

(5) On the date so fixed for the appearance of the parties, the Grievance redressal and dispute resolution committee may call upon the applicant to remedy the defects, if any, or may call upon the parties to furnish relevant records or such other documents or evidence as it may deem fit and proper within such period as may be specified by it.

(6) The Grievance redressal and dispute resolution committee may also order for a field enquiry in connection with the contentions made by the applicant(s) and respondent(s) and also with reference to the records submitted before it.

(7) The Grievance redressal and dispute resolution committee, after hearing the parties and examining the record of the case shall decide the application and pass such order as it may deem fit and proper within ninety days of the presentation of the application.

(8) The Grievance redressal and dispute resolution committee may also explore the possibility of a settlement between the parties and in case the parties arrive at a settlement, the Grievance redressal and dispute resolution committee shall record the settlement, which shall be signed by the parties or the authorised representatives/ officers and shall dispose of the application in terms of such settlement.

(9) The Grievance redressal and dispute resolution committee shall not entertain an application where--

(a) the application is anonymous or it contains general and vague allegations;

(b) the matter is sub-judice in any court of law, tribunal or a judicial or quasi-judicial authority;

(c) the matter is beyond the purview of the Act;

(d) the applicant has no locus standi to file the application.

CHAPTER – IV

APPEALS

9. Appeal against the order or decision of the Grievance redressal and dispute resolution committee.-- (1) An appeal against an order or decision of a Grievance redressal and dispute resolution committee may be preferred by an aggrieved person, in Form 'B', to the Appellate Authority constituted by the concerned Local Authority, within thirty days from the date of communication of such order or decision appealed against:

Provided that the Appellate Authority may condone the delay in case it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the application within the prescribed time.

(2) The appeal shall be in the form of a memorandum and shall be signed by the appellant and presented by him in person or through his authorised representative to the concerned local authority. The memorandum of appeal shall be accompanied by original order or certified copy of the order against which appeal is preferred.

(3) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by a fee of rupees two hundred only.

(4) No such appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Respondent(s) and proof of such service has been filed. The memorandum of appeal shall be accompanied by the original or certified copy of the order, if any, against which appeal is preferred.

(5) No appeal shall be entertained where the order has been passed by the Grievance redressal and dispute resolution Committee in terms of the settlement arrived between the parties.

10. Appeal from decision of Town vending committee- (1) An appeal under section 11 against any decision of a Town vending committee with respect to issue of certificate of vending or cancelation or

4664 DG/14-6

suspension of certificate of vending shall be preferred before the Appellate Authority constituted by the concerned Local Authority in Form 'C' within thirty days from the date of communication of the order appealed against:

Provided that the Appellate Authority may condone the delay in case it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed time.

(2) The appeal shall be in the form of a memorandum in form 'C' and shall be signed by the appellant and presented by him in person or through his authorised representative. The memorandum of appeal shall be accompanied by the original or certified copy of the order against which appeal is preferred.

(3) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by a fee of rupees two hundred only.

(4) No appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Town vending committee which had made the order appealed against, prior to filing of such appeal and proof of such service has been filed along with the appeal.

11. Procedure for disposal of appeals by the Local Authority.-- (1) The officer or the person authorised in this behalf by the concerned Local Authority shall make an entry of the appeal in the Register kept for the purpose by the concerned Local Authority with the date on which it was presented.

(2) The appeal shall be put up before the Appellate Authority constituted by the concerned Local Authority which shall fix a date for hearing of the appeal and shall cause a notice of the hearing to be served upon the parties.

(3) The Appellate Authority shall on the basis of submissions made before it by the parties and the records of the case and on the basis of field enquiry, if any, ordered to be conducted by the Appellate Authority, pass such order, as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against within one hundred eighty days of the date of receipt of the appeal by the Local Authority.

CHAPTER – V

TOWN VENDING COMMITTEE

12. Constitution of the Town Vending Committee.– (1) In each Local Authority one Town vending committee shall be constituted by the Government:

Provided that the Government may, if it considers necessary, on the request of the concerned Local Authority may provide for constitution of more than one town vending committees for each local authority after specifying their jurisdiction.

(2) The constitution of a Town vending committee shall be as follows, namely:-

S.No.	Government Deptt/Other Bodies	No. of members
(a)	Government Departments/ Bodies–	
i.	Medical Officer	01
ii.	PWD	01
iii.	Traffic Police	02
iv.	Police	02
v.	Local Authority(Including Chairperson)	06
(b)	Other bodies–	
vi.	Street vendors	12
vii.	Market/Traders Associations	01

viii.	Non-government organizations/ community based organizations	03
ix.	Resident Welfare Association	01
x.	Banks and financial institutions	01
	Total	**30**

(3) The members of the Town vending committee except the elected members shall be nominated by the Government.

13. Election to the elected member of Town vending committee.- (1) The Local Authority shall by a notification express its intention to conduct elections for the members of a Town vending committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the concerned Local Authority.

(2) The concerned Local Authority shall appoint a returning officer for conducting the election of members of the Town vending committee(s) representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the concerned Local Authority.

14. Manner of election of the members of Town vending committee from amongst the street vendors.—(1) The returning officer appointed under sub rule 2 of the rule 14 shall, conduct the elections for the members of the Town vending committee from amongst the street vendors in the manner provided under Schedule I appended to these rules.

(2) A mobile vendor, stationary vendor or street vendor shall be disqualified to be elected to a Town vending committee if, he is:-

(i) a convict of an offence involving moral turpitude

(ii) is physically and/or mentally incapable of discharging his duties as a member of a Town vending committee.

(3) The names of the elected members shall be intimated by each Local Authority to the Government which shall upon receipt of such names along with other members nominated by it notify the constitution of the Town vending committee in each Local Authority.

15. Term of Town vending committee. — (1) The term of a Town vending committee constituted under section 22 of the Act, unless sooner dissolved under rule 17 of these rules, shall be five years from the date of its constitution.

(2) The process of constituting a Town vending committee shall be completed—

(i) before the expiry of its term; or

(ii) before the expiry of a period of six months from the date of its dissolution.

16. Removal of a member of Town vending committee — If in the opinion of the Government, any member of a Town vending committee persistently makes defaults in the performance of his duties imposed on him by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers, the Government may, by order, remove such member from the committee:

Provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before his removal.

17. Dissolution of Town vending committee. If, in the opinion of the Government, a Town vending committee persistently makes defaults in the performance of duties imposed on it by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers, the Government may, by order, dissolve such Town vending committee and constitute a fresh Town vending committee.

18. Allowances of the members of Town vending committee.— The allowances payable to the members of a Town vending committee, who do not hold any office of profit, shall be at the rate of rupees one thousand only for attending each meeting of the Town vending committee, or as may be fixed by the concerned Local Authority from time to time.

19. Meetings of Town vending committee. — (1) A Town vending committee shall ordinarily hold at least one meeting within a period of three months or at any such intervals as the Chairperson of the Town vending committee may decide for the transaction of its business:

Provided that the first meeting of a Town vending committee after its constitution under section 22 shall be convened by the Chairperson within 45 days.

(2) The meetings of a Town vending committee shall be held at the Headquarters of the Local Authority or at such place within the jurisdiction of the Local Authority as may be decided by the Chairperson.

20. Procedure for transaction of business of Town vending committee.--(1) The Town vending committee may follow such procedure for transaction of its business as may be decided by the Chairperson in consultation with the members.

(2) Subject to the provisions of the Act and these rules and notwithstanding anything contained in the bye-laws, ordinarily the resolutions passed in a meeting of a Town vending committee shall be by a simple majority and in case of special resolutions, by a majority of the total members of the Town vending committee and not less than two-thirds of the members present and voting in the meeting.

21. Functions to be discharged by Town vending committee.— Without prejudice to any other provisions of the Act, a Town vending committee shall perform the following functions, namely:-

(a) to conduct surveys within the area of its jurisdiction to identify street vendors in the area and ensure their accommodation in accordance with the norms, plan and the holding capacity within area of its jurisdiction;

(b) to issue certificate of vending to an eligible street vendor after obtaining an undertaking from him to comply with the terms and conditions subject to which the certificate of vending is issued for issue of certificate of Vending, the Town vending committee shall follow the criteria as specified in the scheme framed under section 38(1) of the Act.

(c) to cancel or suspend certificate of vending of street vendors who commit breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for regulating street vending under the Act or these rules or scheme made under the Act or where the Town vending committee is satisfied that such certificate of vending has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud;

(d) to recommend to the local authority an area in its jurisdiction for declaration of the same to be a non-vending area;

(e) to identify sites and spaces for vending and hawking;

(f) to regulate timings for vending to ensure non-congestion of public spaces;

(g) to ensure enforcement of corrective mechanism against defiance by street vendors;

(h) to follow up cases of dispute pending before the dispute redressal committee and the local authority;

(i) to furnish recommendations to the local authority in relation to the preparation of plan to promote the vocation of street vendors;

(j) to hold its meetings and take appropriate decisions to ensure efficient discharge of its functions;

(k) to associate technical and professional persons with itself on temporary basis for obtaining assistance or advice in carrying out any of the provisions of the Act;

(l) to publish the street vendor's charter specifying therein the time within which the certificate of vending shall be issued to the street vendors and time within which such certificate of vending shall be renewed and other activities to be performed within the time limit specified therein;

(m) to maintain up to date records of registered street vendors and street vendors to whom certificate of vending has been issued in accordance with the provisions of the Act;

(n) to carry out social audit of its activities under the Act or these rules or the scheme made there under;

(o) to furnish from time to time to the Government and the Local Authority such returns as may be prescribed under the Act and these rules;

(p) to furnish comments to the Government for undertaking promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors;

(q) to assist the Government to raise awareness among the public about the role of the street vendors in the economy; and

(r) to perform such other functions for effective implementation of the Act and these rules as may be delegated to the Town vending committee by the Local Authority and by the Government.

22. Power of Town vending committee for temporary association of expert persons. — (1) Subject to the provisions of the Act, a Town vending committee may associate any suitable person of repute having adequate knowledge and experience in the field, as expert to obtain technical or professional advice on matters relating to the street vendors.

(2) The person to be associated as expert under sub-rule (1) shall be selected in a fair and transparent manner and by following the procedure for engagement of consultants and experts as technical or professional experts in Government Departments.

(3) The persons associated as expert under sub-rule (1) shall be paid allowances as determined by the Local Authority.

23. Employees of Town vending committee. — The Local Authority concerned, with the prior approval of the Government shall, when so requested by a Town vending committee, make available to that Committee such employees as the Local Authority considers necessary for discharge of the functions conferred or imposed on the Town vending committee by Rule 21 of these rules.

24. Manner of maintenance of records of street vendors by Town vending committee.— Every Town vending committee shall maintain up to date records as prescribed in the scheme under section 38(1) of the Act in electronic form or manually or in both forms as may be decided by the Local Authority.

CHAPTER – VI

MISCELLANEOUS

25. Town vending committee to furnish returns.— (1) Every Town vending committee shall prepare and furnish to the Government and Local Authority the following periodical returns for each year, namely:-

[I]. **Surveys**—

(a) the number of street vendors surveyed during the year;

(b) name of area and wards where survey work has been completed along with date of completion of survey;

4664 DG/14-7

(c) name of area and wards where survey work is in progress along with the date of start of survey and the date of likely completion;

(d) the number of registered street vendors ward wise as on the last day of the year;

[II]. **Receipt and disposal of applications for issue of certificate of vending—**

(a) the number of applications (ward wise) received for issue of certificate of vending during the year;

(b) the number of applications (ward wise) disposed of during the year of which–

(i) the number of applications accepted;

(ii) the number of applications denied;

(iii) the number of applications pending as on the last day of the year;

[III]. **Cases of suspension of certificate of vending—**

(a) the number of cases in which action for suspension of certificate of vending initiated during the year;

(b) the number of cases of suspension disposed of during the year of which–

(i) the number of certificate of vending were suspended;

(ii) the number of cases closed and the certificate of vending continued;

(iii) the number of cases pending as on the last day of the year;

[IV]. **Applications for revocation of suspension of certificate of vending—**

(a) the number of applications for the revocation of suspension of certificate of vending received during the year;

(b) the number of applications received at (a) above disposed of during the year of which –

(i) the number of applications where suspension revoked and the certificate of vending revalidated;

(ii) the number of cases closed and suspension continued;

(c) the number of applications for revocation of suspension pending as on the last date of the year;

[V]. **Cases of cancellation of certificate of vending—**

(a) the number of cases in which action for cancellation of certificate of vending initiated during the year;

(b) the number of cases of cancellation of certificate of vending disposed of during the year of which –

(i) the number of certificates of vending cancelled;

(ii) the number of cases closed and certificate continued;

(c) the number of cases pending on the last day of the year;

[VI]. **The number of meetings of Town vending committee held during the year;**

[VII]. **Ward wise list of vending zones identified along with the details such as ward, area/colony, road, map of the vending zone, and the holding capacity;**

[VIII]. **Ward wise number of registered street vendors that have been accommodated in the notified vending zones;**

[IX]. **Other activities—**

(a) the social audit of its activities conducted during the year;

(b) promotional measures taken for making available credit, insurance and other welfare schemes of social security of the street vendors during the year;

(c) steps taken during the year to raise awareness among the public about the role of street vendors in the economy.

(2) The Government or the Local Authority, as the case may be, may require a Town vending committee to furnish such other return or returns in such pro forma as demanded from time to time.

26. Publication of summary of notified scheme in newspapers, etc.— (1) A summary of the scheme notified by the Government in the second schedule under sub-section (1) of section 38 of the Act shall be published by the Municipal Commissioner of each Local Authority by means of a public notice given in two prominent daily newspapers and circulated in the area for being widely known in the area or locality of its jurisdiction which is likely to be affected thereby

(2) The notice shall be signed by the Municipal Commissioner of the Local Authority or by an officer authorised by him in this behalf.

(3) The notice shall be in such language or languages as the Municipal Commissioner of the Local Authority may specify in this behalf.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
RAJENDRA KUMAR, Secy.

IndiaCode

SCHEDULE I

[See rule 14]

PROCEDURE FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS OF MEMBERS OF A TOWN VENDING COMMITTEE REPRESENTING THE STREET VENDORS IN THE AREA OF THE JURISDICTION THEREOF

1. The Local Authority concerned shall supervise, direct and control the conduct of elections of the members of a Town vending committee representing the street vendors in the area of its jurisdiction.

2. As soon as the notification expressing the intention of the Local Authority to conduct elections for members of a Town vending committee representing the street vendors has been issued under sub-rule (1) of rule 13 and a returning officer has been appointed for conducting the elections under sub-rule (2) of that rule, the Local Authority shall by a resolution determine the date, time and place for conduct of elections.

3. The notice of the resolution/decision of the Local Authority shall be circulated among the street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town vending committee, by any of the following modes, namely:-

(a) by public notice to be published in two prominent daily newspapers in Hindi, English or such other language as the Local Authority thinks fit;

(b) by local delivery;

(c) by post under certificate of posting;

(d) by speed post or courier services, duly registered with competent authority as well as on the notice board of the returning officer. The notice shall contain information regarding —

(i). the number of members to be elected including seats reserved for representatives of Scheduled Castes, Other Backward classes, women, persons with disabilities, minorities or any other specified categories;

(ii). the date on which, the place at which and the hours between which nomination papers shall be filed, such date being not less than seven clear days before the date fixed for election or if that day happens to be public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

Explanation.—the term "public holiday" means any day which is a public holiday under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 [Central Act XXVI of 1881] or any day which has been notified by the Government to be a public holiday for offices under the Government;

(iii). the date and the hour for scrutinisation of the nomination papers;

(iv). the date, place, hours of polling.

4. The Local Authority shall prepare a list of street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town vending committee as it stood on thirty days before the date fixed for inviting the nominations, and publish copies of the said list by affixing them upon the notice board at the office of the Town Vending Committee, not less than ten days prior to the date fixed for inviting nominations. The list shall specify the registration number/ certificate of vending and the name of the street vendor, the name of the father or husband, as the case may be, and the address of the street vendor. It shall be the duty of the Town vending committee or the Local Authority , as the case may be, to bring up-to-date register of street vendors and such other register as the returning officer may require and hand over such records, register or registers to the returning officer thirty days prior to the date fixed for the purpose of election. A copy of the list shall be supplied by the Town vending committee or the Local Authority , or returning officer, as the case may be, to any street vendor on payment of such fee as specified by the Local Authority .

5. The nominations of the candidates for election shall be made in Form-1 which shall be supplied by the returning officer to any street vendor, free of cost (Form-1 is enclosed with this Schedule).

6. The candidate shall make a security deposit of rupees two thousand in cash or bank draft or pay order along with the nomination papers. If a candidate fails to get less than one-sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited to the Local Authority.

7. Every nomination paper shall be presented in person by the candidate himself or by his proposer or seconder to the returning officer. The returning officer shall enter on the nomination paper its serial number and certify the date and hour at which the nomination is received by him and shall immediately give a written acknowledgement for the receipt of the nomination paper which shall bear the seal of the Town Vending Committee/ returning officer. Any nomination paper which is not received on or before the date and time fixed for its receipt shall be rejected.

8. (i) On the day following the date fixed for the receipt of nomination papers, the returning officer shall take up the scrutiny of the nomination papers;

(ii) The returning officer shall examine the nomination papers and decide objections, which may be made by any person in respect of any nomination and may, either on such objection, or on his own motion and after such summary inquiry, if any, as the returning officer thinks necessary, reject any nomination:

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder, or any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder, as entered in the list of street vendors referred to in clause 4 if

the identity of the candidate, the proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.

(iii) the returning officer shall give all reasonable facilities to the contesting candidates or the proposer or seconder as the case may be, to examine all the nomination papers and to satisfy themselves that the inclusion of the name of the contesting candidate is valid;

(iv) the returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same as the case may be, and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection;

(v) the returning officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riots or affray or by causes beyond his control;

9. The list of valid nominations as decided by the returning officer witb names in English alphabetical order and addresses of the candidates as given in the nomination papers will be displayed/published on the same day on which the scrutiny of the nomination papers is completed.

10. Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and submitted in person, at any time after the presentation of his nomination paper but before 05.00 pm on the day following the day on which the valid nominations are published, to the returning officer of the Town Vending Committee. A notice of withdrawal of candidates once given shall be irrevocable.

11. If the number of candidates who nomination papers have been declared valid, does not exceed the number of candidates to be elected, the returning officer shall announce the names of all such candidates and declare them to have been duly elected to the Town vending committee after the closing hour of the day of withdrawal of candidatures fixed under clause 10 above. If the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number to be elected, the returning officer shall arrange for conducting a poll on the date fixed for the purpose. The returning officer may appoint one or more polling officers as may be necessary for conducting the poll. Ballot paper to be used shall be as prescribed in Form-2 annexed to this Schedule.

12. The Local Authority shall provide the returning office with ballot boxes, ballot papers copy of list of street vendors/voters and such other articles as may be necessary for the conduct of elections. The ballot box shall be so constructed that ballot papers can be inserted therein but cannot be taken out there from without the boxes being unlocked. A candidate contesting the election may, by a letter to the returning officer appoint an agent to represent him both where polling is held to identify the voters and to watch the recording of votes. Such letter shall contain the consent in writing of the agent concerned in Form-3 annexed to this Schedule.

13. Canvassing for votes by any person at the place where elections are to be conducted shall be prohibited.

14. Immediately before the commencement of the poll, the returning officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at the time and shall then lock it up and fix his seal. The candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desires.

15. Every street vendor/voter who desires to exercise his right to vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of contesting candidates arranged in the English Alphabetical order either printed, type written or cyclostyled, according to convenience, on the ballot paper. The ballot paper shall also hear the seal of the Town vending committee and also the initials of the returning officer, and further contain a column, for the voter to inscribe a mark [x] against the names of persons to whom he wants to vote.

16. Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the street vendors/voters can record their votes in secrecy.

17. No ballot paper shall be issued to a street vendor/voter unless the polling officer is satisfied that the street vendor/voter concerned is the same person as noted in the list furnished to him. On receipt of

such ballot paper the street vendor/voter shall proceed to the polling compartment set apart for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark [x] against the names of the candidate or candidates, as the case may be, and put the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy, the street vendor/voter is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer and where no such polling officer is appointed, the returning officer shall ascertain from him the candidate or candidates in whose favour he desired to vote, inscribe the mark [x] on his behalf and put the ballot paper in the ballot box.

18. If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray or if at such elections, it is not possible to take the poll for any sufficient cause, the returning officer shall have the power to stop the poling, recording his reasons for such action in the minute book of the Town Vending Committee.

19. No street vendor/ voter shall be admitted after the hours fixed for the poll but a voter, who enters the premises where ballot papers are being issued before the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed to vote.

20. The counting of votes shall take place immediately after close of the poll. If this is not possible, the ballot box shall be sealed with the seal of the returning officer and the contesting candidates or their agents, if they so desire, and deposit with the Local Authority for safe custody, the returning officer shall then announce the next day of counting. The votes shall be counted by or under the supervision of the returning officer. Each candidate and his authorised agent shall have a right to be present at the time of counting. But absence of any candidate or his agent at the time of counting shall not vitiate counting and announcement of results by returning officer. The number of votes secured by each candidate and the result of the elections shall be announced by the returning officer as soon as the counting is over.

21. The result of the elections shall also be recorded in the minute book of the Town vending committee and attested by returning officer and shall also be notified immediately on the notice board of the Town Vending Committee.

22. In case of equality of votes, the returning officer shall declare the election result by tossing coin.

23. The ballot paper shall be rejected by the returning officer if —

(i). it bears any mark by which the street vendor's vote can be identified;

(ii). it does not bear the seal of the Town vending committee or the initials of the returning officer;

(iii). the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been cast;

(iv). is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.

24. After the result of election has been announced, the result of the election and a report thereon shall be communicated to the Local Authority as well as to the Government by the returning officer within three days after the declaration of result.

25. After the declaration of the result of the election, the returning officer shall handover the ballot paper and records relating to the elections of the members of the Town vending committee to the Local Authority in a sealed cover. These shall safely be preserved by the Local Authority for the period of six months from the date of elections or till such time a dispute regarding elections, if any, filed is disposed of, whichever is later and shall thereafter be destroyed by the Local Authority and a copy of the handing over and taking over record of elections shall be sent to the Government as well as Local Authority by the returning officer alongwith his report.

SCHEDULE I

[See rule 14]

Form- 1

NOMINATION FORM FOR ELECTION OF MEMBERS OF TOWN VENDING COMMITTEE

To

The Returning Officer,

.....

Town Vending Committee

.....

Sir,

I,,wife/son/daughter of Shri....., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration/ Certificate of Vending No.....) hereby propose the name of Shri/Smt/Ms..... wife/son/daughter of Shri.....and a street vendor of the said Town vending committee (Registration/Certificate of Vending No.....) as a candidate for the post of Member of the said Committee for the election to be held on

Name and signature of the proposer.....

Registration/Certificate of Vending No.....

I,,wife/son/daughter of Shri Registration/Certificate of Vending No.....of..... Town Vending Committee, hereby second the above proposal.

Name and Signature of the Seconder.

Registration/Certificate of Vending No.....

DECLARATION BY THE CENDIDATE

I,,wife/son/daughter of Shri Registration/Certificate of Vending No.....of..... Town vending committee, hereby agree to my nomination for the election as Member of the Town vending committee.

I further declare that-

(i) I am not an employee of the said Town Vending Committee:

(ii) I am eligible to vote:

(iii) I do not incur any disqualification for election as Member of the said Town vending committee under the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014) and the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2014 made thereunder.

Name and Signature of the Candidate.

Registration/Certificate of Vending No.....

(FOR OFFICE USE ONLY)

Received the nomination form at.....a.m./p.m.on.....

IndiaCode

Signature of the Returning Officer.....

Seal

ACKNOWLEDGEMENT

Received the nomination form ofpresented by Shri/Smt/ Ms.....candidate/proposer/seconder for election ata.m./p.m. on.....

Signature of the Returning Officer.....

Seal

SCHEDULE I

[See rule 14]

Form- 2

(clause 11 of Schedule I)

BALLOT PAPER FOR ELECTION OF MEMBER OF A TOWN VENDING COMMITTEE

Ballot paper of elections of Members of a Town vending committee whose elections are to be conducted under Schedule I appended to rule 17 of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2014.

The.....Street Vending Committee

.....

..... (Address)

(Counterfoil)

Ballot paper for the Post of

Date of Election.....

Sl. No.....Registration/Certificate of Vending No.....Ballot Paper.

Please mark [x] against one of the candidate

Sl.No.	Name of the candidate	Registration/Certificate of Vending No.	Mark for casting vote

SCHEDULE I

[See rule 14]

Form-3

[clause 12 of Schedule I]

I,, son/wife /daughter of Shri....., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration/Certificate of Vending No.....) contesting for election of Member of the said Committee, hereby nominate the following person as my election agent/counting agent in the election of Members of the said Town vending committee to be held on (specify the date):-

Name and Signature of the Candidate

Registration/Certificate of Vending No.....

I,, son/wife/daughter of Shri.....,

address

.....

am willing to be the election agent/account agent.

Name and Signature of the Agent

FORM 'A'

[See rule 7]

APPLICATION TO THE GRIEVANCE REDRESSAL AND DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE FOR THE REDRESSAL OF GRIEVANCE OR RESOLUTION OF DISPUTE OF STREET VENDORS

1.	Name and address of the applicant	:	
2.	Registration number/ case number/ ID number	:	
3.	Place of vending — (give full details of location, zone, ward, etc.)	:	
4.	Nature of vending (Tick the appropriate) — (a) stationary (b) mobile (c) any other category (if other, please specify the category)	:	(a) ☐ (b) ☐ (c) ☐
5.	Date of issue of certificate of vending (attach a copy of certificate of vending, if issued)	:	
6.	Grounds of redressal of grievance or resolution of dispute (give full details and attach more pages, if required)	:	

Signature of applicant

DECLARATION

I,_____, the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of applicant

Note.— Please attach all the relevant documents along with the application.

FORM 'B'

[See rule 9]

APPEAL TO THE LOCAL AUTHORITY AGAINST THE DECISION OF THE GRIEVANCE REDRESSAL AND DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE

1.	Name and address of the appellant	:	
2.	Registration number/ case number/ ID number	:	
3.	Place of vending — (give full details of location, zone, ward, etc.)	:	

4664 DE/14-9

IndiaCode

4.	Nature of vending (Tick the appropriate) — (a) stationary (b) mobile (c) any other category (if other, specify the category)	:	(a) ☐ (b) ☐ (c) ☐
5.	Decision of the Committee (attach the copy of the decision of the Dispute Redressal Committee, giving- (a) the number of the decision; and (b) the date of the decision.)	:	
6.	Grounds of appeal (give full details and attach more pages, if required)	:	

Signature of appellant

DECLARATION

I,_____, the appellant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of appellant

Note.— Please attach all the relevant documents along with the appeal.

FORM 'C'

[See rule 10]

APPEAL TO THE LOCAL AUTHORITY AGAISNT THE DECISION OF THE GRIEVANCE REDRESSAL AND DISPUTE RESOLUTION COMMITTEE

1.	Name and address of the appellant	:	
2.	Registration number/ case number/ ID number	:	
3.	Place of vending — (give full details of location, zone, ward, etc.)	:	
4.	Nature of vending (Tick the appropriate) — (a) stationary; (b) mobile; (c) any other category (if other, please specify the category)	:	(a) ☐ (b) ☐ (c) ☐

IndiaCode

5.	Date of issue of certificate of vending (attach a copy of certificate of vending, if issued)	:	
6.	Nature of the order appealed against (Tick the appropriate) — (a) issuance of certificate of vending; (b) cancellation of certificate of vending; or (c) suspension of certificate of vending.	:	(a) ☐ (b) ☐ (c) ☐
7.	Grounds of appeal (give full details and attach more pages, if required)	:	

Signature of appellant

DECLARATION

I,_____, the appellant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of appellant

Note.— Please attach all the relevant documents along with the appeal.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.